मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा ९ का संशोधन.

३. धारा १४ का संशोधन.

४. धारा १८ का संशोधन.

५. धारा २६ का संशोधन.

६. धारा २८-क का अन्त:स्थापन.

७. धारा ३४ का संशोधन.

८. अनुसूची-१ का संशोधन.

९. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९ में, उपधारा (१) में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-२ के भाग तीन-क में विनिर्दिष्ट मालों के संबंध में, वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर न्यूनतम कर की राशि नियत कर सकेगी."

धारा १४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में,—

(एक) उपखण्ड (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(१) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय; या

(१क) अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय, या";

(दो) उपखण्ड (६) में, मद (दो) को मद (तीन) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित मद (तीन) के पहले निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(दो) उपखण्ड (१क) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो कि ऐसे विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन देय केन्द्रीय विक्रय कर की रकम के बराबर हो;".

धारा १८ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (चार) में, उप भाग (४) में, अंक तथा शब्द "१.५ प्रतिशत" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "२ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

धारा २६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २६ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) शब्द "केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" के स्थान पर, शब्द "व्यक्ति" स्थापित किया जाए;

(ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए, और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी.";